न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –267/2015

आदेश दिनांकः 30.09.2019

अनुवान – रेखादेवी बनाम सुरेश आदि

1. श्रीमती रेखादेवी पत्नी श्री सुरेश जाति जाट निवासीनी गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राज.
2. अवयस्क हिमताराम उम्र 4 वर्ष पुत्र श्री सुरेश जाति जाट निवासी ग्रम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू जरिये अपनी संरक्षिका, माता वादमित्र श्रीमती रेखादेवी पत्नी सुरेश जाति जाट निवासीनी गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राज.
3. अवयस्क कुमारी अंकिता उम्र 2 वर्ष पुत्री श्री सुरेश जाति जाट निवासी ग्रम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू जरिये अपनी संरक्षिका, माता वादमित्र श्रीमती रेखादेवी पत्नी सुरेश जाति जाट निवासीनी गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राज

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरेश पुत्र फूलाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राज.
2. श्रीमती ज्ञानीदेवी पत्नी स्व. फूलाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राज.
3. अर्जनराम पुत्र स्व. फूलाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राज.
4. भवानीशंकर पुत्र राजाराम जाति ब्राहमण पुजारी निवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू राज.
5. जगदीश प्रसाद पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू राज.

30/9/19

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राज.
7. अतिरिक्त तहसीलदार उप तहसील कार्यालय सालासर जिला चूरू राज.
8. उप पंजियक उप तहसील कार्यालय सालासर जिला चूरू राज.

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः—

1. श्री सूर्य प्रकाश स्वामी एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री गोरधनलाल चौधरी एडवोकेट अप्रार्थी

आदेश दिनांक —30.09.2019

आदेश

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट व आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा 151 दिवानी प्रक्रिया संहिता पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजागनढ जिला चूरू के निवासीगण है। अप्रार्थी सं. 1 वादीनी सं. 1 ता 3 स्वर्गीय सांवलाराम एवं फूलाराम के उत्राधिकारीगण है। इस दोनों का ही निधन हो गया है। वादगत कृषि भूमि पुश्तैनी, सहदायिक, अविभाजित भूमि हाने से प्रार्थीगण सं. 2 ता 3 का उनके जन्म से तथा वादीनी सं. 01 का विवाह क समय से अप्रार्थी सं. 1 सुरेश के कुल वादगत भूमि 36 बीघा 13 बिस्वा के 1/3 हिस्सा यानि 12 बीघा 05 बिस्वा में संयुक्त बहिस्सा बराबर 1/4 , 1/4, 1/4 कुल 3/4 हिस्सा चला आ रहा है तथा सुरेश आप्रार्थी सं. 01 का भी 1/4 हिस्सा संयुक्त है। कानूनन प्रार्थीगण तीनों वा अप्रार्थी सं. 01 सुरेश 12 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि के बहिस्सा बराबर—बराबर के रूप में संयुक्त खातेदार है। वादगत कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक, सहदायिक अविभाजित कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं. 01 के वादगत कृषि भूमि के 1/3 में से 3/4 हिस्सा के कानूनन प्रार्थीगण खातेदार वा काबिज काश्तकार इस प्रकार प्रार्थीगण के वैध अधिकारों का हनन होगा वा अपूर्तिय क्षति होगी, गैर कानूनी कार्यो को प्रोत्याहन मिलेगा। प्रार्थीगण के आजीविका का एक मात्र जरिये वादगत कृषि भूमि से प्राप्त उपज की आय है जिन्हें बल पूर्वक बेदखल कर दिये जाने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपतपत्र बाबत प्राप्ति अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है अप्रार्थी सं. 01 ता 3 को वर्जित किया जावें कि वो वादगत कृषि भूमि के विधिवत विभाजन होने से पूर्व मूल वाद के निर्णय से पूर्व वादगत कृषि भूमि रोही ग्राम गुड़ावड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरू हाल खसरा नं. 73 मीन तादादी 16 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं. 326 मीन 02 बीघा, खसरा नं. 321 मीन 13 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 533 मीन 05 बिस्वा, खसरा नं. 635 मीन तादादी 03 बिघा 15 बिस्वा, कुल तादादी 36 बीघा 13 बिस्वा प्रार्थीगण की पैतृक अविभाजित सहदायिक भूमि के किसी हिस्से या भाग को किसी भी रूप में विक्रय हस्तान्तरण आदि नहीं करें तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा या रूकावट पैदा नहीं करें। रेकार्ड वा मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक– 28.01.2016 को अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से श्री गोरधन लाल चोधरी अधिवक्ता उपस्थित हुऐ अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, व 5 विधिवत तामिल होने के बावजुद उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई ।दिनांक 14.12.2016 को अप्रार्थी संख्या 03 का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3. वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई

4. वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नियमित वाद परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 निर्विवाद रूप अप्रार्थी संख्या 01 के पुत्र–पुत्रियां है। अतः जब तक विवादित भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा नियमित वाद का निस्तारण नहीं कर दिया जाता हैं तब तक अप्रार्थीगण को विवादित भूमि को रहन एवं बेचान करने से पाबन्द किया जाना व्यापक न्यायहित में है। यदि अप्रार्थीगण को विवादित भूमि के रहन एवं बेचान से पाबन्द नहीं किया गया तो इस प्रकरण में अनावश्यक रूप से पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी एवं जटिलताएं बढेगी। अतः व्यापक न्यायहित में अप्रार्थीगण को विवादित भूमि के रहन एवं बैय नहीं करने के लिए पाबन्द किया जाना पूर्णतया औचित्यपूर्ण है। विवादित आराजी स्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है।

5. वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 03 रिकार्डेड खातेदार है जिसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार नही की जा सकती है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में इसी आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

6. वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति रही है। विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नियमित वाद परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 निर्विवाद रूप अप्रार्थी संख्या 01 के पुत्र–पुत्रियां है। अतः जब तक विवादित भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा नियमित वाद का निस्तारण नहीं कर दिया जाता हैं तब तक अप्रार्थीगण को विवादित भूमि को रहन एवं बेचान करने से पाबन्द किया जाना व्यापक न्यायहित में है। यदि अप्रार्थीगण को विवादित भूमि के रहन एवं बेचान से पाबन्द नहीं किया गया तो इस प्रकरण में अनावश्यक रूप से पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी एवं जटिलताएं बढेगी। अतः व्यापक न्यायहित में अप्रार्थीगण को विवादित भूमि के रहन एवं बैय नहीं करने के लिए पाबन्द किया जाना पूर्णतया औचित्यपूर्ण है। विवादित आराजी स्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2015 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक वादगत भूमि के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें व विक्रय, अन्तरण आदि नही करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.9.19

(रतन कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

सुजानगढ

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ